

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

की धारा-4 (1) (बी) के अन्तर्गत स्वमेव
प्रकटीकरण की जानकारी (वर्ष 2015-16)

(PROACTIVE DISCLOSURE)

विवरणिका

(17 POINT - MANUAL)

अनुक्रमणिका (Index)

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
01.	प्रस्तावना	1-2
02.	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य	3-18
03.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कृत्य	19-21
04.	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देश और अभिलेख	22
05.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया	23
06.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड एवं कार्यों के निर्वहन हेतु संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेश का विवरण	24
07.	संधारित पंजियों एवं दस्तावेजों का विवरण	25
08.	नीति निर्धारण एवं कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण	26
09.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित के अन्तर्गत गठित मण्डल परिषद कमेटी	27
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	28-30
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी	31-120
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित को आबंटित बजट	121
13.	अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय राशि की, लाभान्वितों से सम्बन्धित जानकारी	122
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ	123
15.	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी	124
16.	सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का विवरण	125
17.	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	126-128
18.	अन्य उपयोगी जानकारी	129